(1000)

APP. A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत न्यायालय उपखण्ड मुख्य अधिकारी नैनवाँ, जिला- बून्दी (राज.)

छोटूलाल बनाम रामविलास आदि

मुकदमा नं. 182/प्रा0/22 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.8.22	वाद पत्र/ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15 टीट द्वारा वकील श्री सीताराम नागर पेश किया गया। रजिस्ट्री रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 30.8.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 19.10.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
19/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कुमार जैन ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी ने वाद पुन: नम्बर पर लेने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अत: बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूलवाद संख्या 18/दावा/2011 को पुन: नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। मूलवाद पुन: दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 22/11/22 को पेश [illegible] खुले न्यायालय [illegible] बाद तकमील [illegible] रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	वाद पुन: नम्बर पर लेने में आपत्ति नहीं (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.04.10 15:55:28 IST
Reason: SelfAttested